08-9-2020

पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी कामयाब हुसैन पुत्र आबिद अली, जाति-- खोरजिया, निवासी- 1041, मेडवास, मस्जिद के पास, पो. बादरगढ, तहसील-- पालनपुर, जिला--बनासकांठा, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, होटल आर्शीवाद, एन.एच. 62, अरठवाडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही की ओर से प्रतिवादी के पिता आबिद अली उपस्थित, जिन्होनें आज एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15.9.2020 को होनी है, किन्तु मेरे जीजाजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण में दिनांक 15.9.2020 को सुनवाई के लिये उपस्थित नही हो पाउंगा। अतः इस प्रकरण की सुनवाई आज दिनांक

.......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.25/2020**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

08.9.2020 को ही करावे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, इस प्रकरण पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी के पिता आबिद अली ने प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 06.2.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस नमकीन (आनन्द ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया था और जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है उसका बिल मिसिंग होने से मैं प्रस्तुत नही कर पाया। वह नमकीन मेरे होटल से ली गई है। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। मैं भविष्य में इस नमकीन का उपयोग नही करुंगा। कृपया इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी पक्ष की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी कामयाब हुसैन अपने उक्त होटल आर्शीवाद में आम जनता को तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल के निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) को वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) का नमूना अमानक पाया गया है। प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद बाबत बिल प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी के पिता आबिद अली ने यह व्यक्त किया कि उसके जीजाजी के स्वर्गवास के कारण उसका पुत्र कामयाब हुसैन उसके गांव गया हुआ है, इस कारण प्रतिवादी कामयाब हुसैन की ओर से इस प्रकरण में सुनवाई हेतु वह उपस्थित हुआ हूँ। उक्त होटल आर्शीवाद मेरे मालकी की फर्म है। उक्त खाद्य पदार्थ का बिल मेरे पास से गुम हो जाने से प्रस्तुत नही किया है। यह कि उक्त खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) को मैनें पैकिंग अवस्था में क्रय किया व पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया था, परन्तु बिल मेरे पास नही है। मैं गलती स्वीकार करता हूँ, भविष्य में ध्यान रखूंगा। अतः कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.2.2019 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल आर्शीवाद, एन.एच.62, अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कामयाब हुसैन पुत्र आबिद अली, जाति– खोरजिया,

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.25/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

निवासी— 1041, मेडवास, मस्जिद के पास, पोस्ट—बादरगढ, तहसील— पालनपुर, जिला— बनासकांठा उपस्थित मिले, जो उक्त होटल आर्शीवाद में आम जनता को खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनान्द ब्राण्ड) की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म होटल आर्शीवाद के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए होटल के अन्दर मौजूद तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 450 ग्राम) में से 4x450 ग्राम पैक्ड पाउचेज तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1103 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./70/Act/2020/70 दिनांक 18.2.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कामयाब हुसैन ने उक्त खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) के खरीद का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कामयाब हुसैन द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ तीखी सेव (आनन्द ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा— 51 के तहत प्रतिवादी कामयाब हुसैन पुत्र आबिद अली, जाति— खोरजिया, निवासी— 1041, मेडवास, मस्जिद के पास, पोस्ट— बादरगढ, तहसील— पालनपुर, जिला— बनासकांठा, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म होटल आर्शीवाद, एप.एच.62, अरठवाडा, तहसील— शिवगंज, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 10,000/— (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी कामयाब हुसैन पुत्र आबिद अली, जाति— खोरजिया, निवासी— 1041, मेडवास, मस्जिद के पास, पोस्ट—बादरगढ, तहसील— पालनपुर, जिला— बनासकांठा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवायें। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 25.9.2020 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested